45

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
प्रशासकीय सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1131–तीन/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 22–03–2014 पारित द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग एवं जिला छतरपुर द्वारा प्रकरण कमांक निगरानी 173/अपील/अ–46/2010–11.

1–मानसिंह पिसरान स्व0श्री हाकिमसिंह ठाकुर
2–राजेन्द्रसिंह पिसरान स्व0श्री हाकिमसिंह ठाकुर
3–गरजनसिंह पिसरान स्व0श्री हाकिमसिंह ठाकुर
सभी निवासी ग्राम छिरावल तहसील व जिला छतरपुर म0प्र0

.... आवेदकगण

विरूद्ध

1–सुजानसिंह वल्द स्व0गंभीरसिंह ठाकुर
2–दानसिंह वल्द स्व. गंभीर सिंह ठाकुर
3–हरीसिंह वल्द स्व.गंभीरसिंह ठाकुर
4–चन्द्रभान सिंह वल्द स्व.प्रीतमसिंह ठाकुर
5–श्रीमती सविता सिंह पत्नी सुरेन्द्र सिंह ठाकुर
6–झल्लूसिंह वल्द श्री दानसिंह ठाकुर
समस्त निवासी ग्राम छिरावल तहसील व
जिला छतरपुर म0प्र0
7–म0प्र0शासन

.... अनावेदकगण

....

श्री के0एस0निगम, अभिभाषक आवेदकगण
श्री राजेन्द्र खरे, अभिभाषक, अनावेदकगण

....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 17/3/15 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग व जिला छतरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–03–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार छतरपुर के राजस्व प्रकरण कमांक 25/अ–46/1982–83 में पारित आदेश दिनांक 9–2–83 के विरूद्ध आवेदकगण अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई है तथा एक आवेदन संहिता की धारा 48 के तहत प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि प्रश्नाधीन आदेश की प्रतिलिपि प्राप्त नहीं हो रही है ऐसी स्थिति में न्यायहित में अपीलाधीन आदेश की सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत करने से अभिमुक्ति प्रदान की जावे । तहसीलदार तहसील छतरपुर के पत्र कमांक 726/प्रतिलिपि/2012 दिनांक 23–2–2012 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रवाचक नायब तहसीलदार ईशानगर की टीप अनुसार प्रकरण कमांक 25/अ–46/1982–83 की दायरा पंजी में दर्ज होना नहीं पाया जाता है और न ही उक्त प्रकरण प्रभार में प्राप्त हुआ है । तहसीलदार के द्वारा भी दिनांक 21–2–12 को तदाशय की टीप दी गई है । अनावेदक के द्वारा उपरोक्त आदेश की नोटरी द्वारा सत्यापित छायाप्रति प्रस्तुत की गई है परन्तु सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत नहीं की गई इसलिये पुनः नायब तहसीलदार ईशानगर से प्रतिवेदन आहूत किया गया । समस्त प्रवाचको से प्रश्नाधीन प्रकरण की प्रश्नाधीन वर्ष की समस्त दायरा पंजियों से सत्यापन कराया गया एवं प्रवाचकों की टीप अनुसार दायरा पंजी वर्ष 1982–83 में उक्त प्रकरण दर्ज होना नहीं पाया गया । अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 9–2–1983 का प्रकरण कमांक 25/अ–46/1982–83 न तो दायरा पंजी में दर्ज है और न ही उसकी सत्यप्रतिलिपि ही प्रस्तुत की गई है ऐसी स्थिति में प्रस्तुत संहिता की धारा 48 के तहत प्रस्तुत आवेदन पारित आदेश दिनांक 22–3–14 से स्वीकार किया जाकर आवेदकगणों को अपीलाधीन आदेश की सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत करने के भार से मुक्ति प्रदान की गई व प्रकरण विलम्ब क्षमा आवेदन पर एवं अंतिम तर्क हेतु नियत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के इस आदेश पर अनावेदकगण द्वारा के द्वारा आपत्ति पेश कर एवं मुताबिक फेहरिश्त दस्तावेज पेश कर अपील की अनुमति का विरोध किया जिस पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 22–3–14 को स्थगित रखते हुये पुनश्च आदेश दिनांक 22–3–14 से प्रस्तुत आपत्ति पर तर्क एवं विचारण हेतु पुनः प्रकरण नियत

किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पुनश्च पारित आदेश दिनांक 22–3–14 से दुखित होकर आवेदकगण द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्को में मुख्य रूप से यह बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश की की जॉच किये जाने के उपरांत ही आवेदकगण का आवेदन स्वीकार करते हुये संहिता की धारा 48 के अन्तर्गत अपीलाधीन आदेश की सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत करने के भार से मुक्ति प्रदान करने का आदेश पारित किया गया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी युक्तियुक्त कारण के स्थगित कर उसी बिन्दु पर पुनः सुनवाई हेतु प्रकरण नियत करने में त्रुटि की है । इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुनश्च का दिनांक 22–3–14 को किया गया स्थगन आदेश अवैध होने से निरस्त किये जाने योग्य है । तर्क में यह भी बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये आदेश को पुनः किसी प्रकार से विचारण किये जाने का क्षेत्राधिकार नहीं है । अंत में आवेदक अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–3–14 अनुचित होने से निरस्त किये जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया है ।

4/ अनावेदक के अधिवक्ता द्वारा अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश को विधिनुकूल बताते हुये, उक्त पारित आदेश दिनांक 22.3.2014 स्थिर रखा जाकर निगरानी खारिज किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

5/ मैंने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश का सूक्ष्मता से अध्ययन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण में तहसील न्यायालय छतरपुर तथा मण्डल ईशानगर का यह प्रतिवेदन संलग्न है कि संदर्भित प्रकरण उपलब्ध नहीं है । आवेदक को भी नकल आवेदन के उत्तर में यह टीप दी गई है । ऐसी स्थिति में जबकि आवेदक को प्रमाणित प्रतिलिपि न मिलने का स्पष्ट कारण उसने दर्शाया है जिसकी पुष्टि न्यायालय को भी अधीनस्थ न्यायालय से हुई है

तब उसे सत्यप्रतिलिपि पेश करने से छूट दी जानी चाहिये । अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 22–3–14 द्वारा उभयपक्षों को सुनकर उक्त आशय का आदेश पारित भी किया लेकिन उसके तुरन्त बाद उसी दिनांक को पुनश्चः कर उन्होंने जो अपना आदेश स्थगित किया है वह औचित्यहीन है । इसके कोई पर्याप्त कारण भी उपलब्ध नहीं है ।

6/ उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 22–03–2014 का पुनश्च के बाद किया गया आदेश निरस्त किया जाता है तथा आवेदक को सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत करने से मुक्ति देने संबंधी अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखा जाता है ।

(मनोज गोयल)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर